तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी0ए0/4937/2006/झुंझुनू** **बारसीलाल बनात बीडदी चन्द अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29-01-26	**<u>एकल पीठ</u>** **श्री अजीत सिंह राजावत, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>ः** श्री हगामी लाल चौधरी, अधिवक्ता –– **<u>निर्णय</u>** प्रार्थी द्वारा यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अंतर्गत उप खण्ड अधिकारी, उदयपुर वाटी के आदेश दिनांक 04.05.2006 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/वादी ने विवादित भूमि के संबंध में एक नियमित वाद अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत परीक्षण न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, उदयपुर वाटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दौराने वाद प्रार्थी/वादी ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 दीवानी प्रक्रिया संहिता बाबत दावे में संशोधन हेतु प्रस्तुत किये। परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अपने आदेश दिनांक 04.05.2006 से खारिज कर दिया गया। परीक्षण न्यायालय उप खण्ड अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल में प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय की बहस निगरानी में सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि उप खण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी0ए0/4834/2015/चित्तौडगढ** **बादाम बाई बनात धापू व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संयुक्त खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु पडौसी खातेदारान से 5 हाथ रास्ता लिया गया है। उक्त रास्ते की भूमि के एवज में ख0न0 424 की 5075 वर्ग फीट भूमि गिरधारी लाल को दी गयी है। इस प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थी की भूमि ख0न0 424 रकबा 2.85 है0 में से 5075 वर्गफुट भूमि मौके पर कम हो गयी है। ऐसी अवस्था में उक्त खसरा नं0 में 5075 वर्गफुट भूमि कम की जाकर शेष रही भूमि का प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य 1/2–1/2 हिस्से का बंटवारा किये जाने का संशोधन किया जाना आवश्यक है। उनका कथन है कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये संशोधन से पक्षकारों के मध्य विवाद की वास्तविक स्थिति प्रकट होकर विवाद का अंतिम रूप से न्यायोचित निस्तारण होता है एवं उक्त संशोधन से वाद की प्रकृति पर कोई विपरीत असर नहीं पडता है। परन्तु परीक्षण न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 खारिज कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने निगरानी को स्वीकार कर दावे में उक्तानुसार संशोधन कराये जाने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रकरण में संयुक्त खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु पडौसी खातेदारान से 5 हाथ रास्ता लिया गया है। उक्त रास्ते की भूमि के एवज में विवादित खसरा न0 424 की 5075 वर्गफीट भूमि गिरधारी लाल को दी गयी है। इस प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थी की भूमि ख0न0 424 रकबा 2.85 है0 में से 5075 वर्गफुट भूमि मौके पर कम हो गयी है। ऐसी अवस्था में उक्त खसरा नं0 में 5075 वर्गफुट भूमि कम की जाकर शेष रही भूमि का प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य 1/2–1/2 हिस्से का बंटवारा किये जाने के संशोधन बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी0ए0/4834/2015/चित्तौडगढ** **बादाम बाई बनात धापू व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

था जिसे परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 04.05. 2006 से खारिज दिया। उक्त संशोधन जो प्रस्तावित किया गया है वह वादग्रस्त भूमियों और इसके पक्षकारों से सबंधित है। इसमें वर्णित लिखावट दस्तावेज संबधित तथ्य रिकार्ड पर आने से पक्षकारों के मध्य प्रकरण के गुणावगुण पर अंतिम निर्णय में सहायता प्राप्त होगी। परीक्षण न्यायालय में विचाराधीन दावा विभाजन व घोषणा का है और संशोधन के उपरांत भी वह विभाजन व घोषणा की ही श्रेणी में आयेगा। अतः इस संशोधन से दावे की मूल संरचना व प्रकृति में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत वाद संशोधन स्वीकार योग्य होना पाया जाता है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.05.2006 को अपास्त किया जाता है एवं उक्तानुसार वाद में संशोधन करने हेतु निर्देशित किया जाता है। प्रतिवादीगण विचारण न्यायालय में इसका जबाव प्रस्तुत कर सकेगें।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजीत सिंह राजावत)
सदस्य